न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपीलः 37/2019

दायर दिनांकः 11.11.2019

निर्णय दिनांक 15.03.2021

—:अनवानः—

1. श्री दल्लासिंह पिता रतासिंह, जाति खरवड़ राजपूत उम्र वयस्क निवासी चाम्बुआ सरजेला, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
2. श्री रूपसिंह पिता रतासिंह जाति खरवड राजपूत उम्र वयस्क निवासी चाम्बुआ सरजेला, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
3. श्री केशरसिंह पिता रतासिंह जाति खरवड़ राजपूत उम्र वयस्क निवासी चाम्बुआ सरजेला, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
4. मन्नुबाई बेवा रतासिंह जाति खरवड़ राजपूत उम्र वयस्क निवासी चाम्बुआ सरजेला, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
5. हजारीसिंह पिता दोलासिंह जाति राजपुत, उम्र वयस्क निवासी जेलापट्टा कांकरवा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
6. वजकी पिता मोतीसिंह जाति खरवड राजपूत, उम्र वयस्क निवासी चाम्बुआ सरजेला, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
7. जेतकी उर्फ ज्योति पिता मोतीसिंह, जाति खरवड राजपूत उम्र वयस्क, निवासी चाम्बुआ सरजेला तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
8. फेफली पिता मोतीसिंह जाति खरवड राजपूत, उम्र वयस्क निवासी चाम्बुआ सरजेला तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
9. रूपली पिता मोतीसिंह जाति खरवड राजपूत, उम्र वयस्क निवासी चाम्बुआ सरजेला, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

——— अपीलार्थीगण

—:बनामः—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कुम्भलगढ

——— रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 239 स्वीकृत दिनांक 29.05.1975 पारित द्वारा तहसीलदार, कुम्भलगढ से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट्स

2— श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

—::निर्णय::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। राजस्व ग्राम चाम्बुआ सरजेला, पटवार क्षेत्र कांकरवा, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द में अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी का कब्जा आधिपत्य होने से अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी मोती, स्वरूप, रता, हीरा पिता भीमा के नाम पर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा की गयी थी। अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी का पुराना कब्जा आधिपत्य होने से उक्त भूमि को नियमन करने हेतु तहसीलदार कुम्भलगढ द्वारा प्रकरण दर्ज कर आराजी संख्या 2/36 रकबा 07 बीघा 14 बिश्वा भूमि का नियमन करने हेतु दिनांक 31.12.1971 को उप जिलाधीश राजसमन्द के यहां प्रेषित की गयी। उक्त नियमन की सिफारिश पर नियमन कमेटी पदेन अध्यक्ष, उप जिलाधीश राजसमन्द द्वारा खसरा संख्या 2/36 रकबा 07 बीघा 14 बिश्वा भूमि जरिये मिसल संख्या 527/71 दिनांक 29.05.1972 को अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी के नाम पर नियमन करने के आदेश पारित किये जाने से उक्त आदेश की पालना मे पटवारी हल्का द्वारा म्यूटेशन आराजी नम्बर 2/36 के स्थान पर 1900 मीन मे भरकर फैसल करने हेतु तहसीलदार, कुम्भलगढ के यहां प्रस्तुत किया जिसका तहसीलदार कुम्भलगढ द्वारा उक्त आवंटित भूमि का नामान्तरण स्वीकृत कर दिया जिसको चूनौति दी गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद प्रतीत नही होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन नही किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेन्ट तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी का कब्जा आधिपत्य होने से अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी मोती, स्वरूप, रता, हीरा पिता भीमा के नाम पर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा की गयी थी। अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी का पुराना कब्जा आधिपत्य होने से उक्त भूमि को नियमन करने हेतु तहसीलदार कुम्भलगढ द्वारा प्रकरण दर्ज कर आराजी संख्या 2/36 रकबा 07 बीघा 14 बिश्वा भूमि का नियमन करने हेतु दिनांक 31.12.1971 को उप जिलाधीश राजसमन्द के यहां प्रेषित की गयी। उक्त नियमन की सिफारिश पर नियमन कमेटी पदेन अध्यक्ष, उप जिलाधीश राजसमन्द द्वारा खसरा संख्या 2/36 रकबा 07 बीघा 14 बिश्वा भूमि जरिये मिसल संख्या 527/71 दिनांक 29.05.1972 को अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी के नाम पर नियमन करने के आदेश पारित किये जाने से उक्त आदेश की पालना मे पटवारी हल्का द्वारा म्यूटेशन आराजी नम्बर 2/36 के स्थान पर 1900 मीन मे भरकर फैसल करने हेतु तहसीलदार, कुम्भलगढ के यहां प्रस्तुत किया जिसका तहसीलदार कुम्भलगढ द्वारा उक्त आवंटित भूमि का नामान्तरण स्वीकृत कर दिया । अतः उक्त स्वीकृत नामान्तरण संख्या 239 दिनांक 29.05.1975 को निरस्त फरमाया जाकर वर्णित आराजी नम्बर 2/36 जिसके वर्तमान नम्बर 2449/2 रकबा 47 बीघा 07 बिश्वा 10 बिश्वासी भूमि मे से 07 बीघा 14 बिश्वा भूमि का नामान्तरण अपीलार्थी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण उप जिलाधीश राजसमन्द के द्वारा आवंटन/ नियमन के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया। जो 1975 में खोला गया था। उक्त नामान्तरण में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही पाई जाती है । साथ ही अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत करने का कोई औचित्यपूर्ण ठोस कारण नहीं बताया है। और न ही यह बताया है कि इतने लम्बे समय (45 वर्ष) बाद नामान्तरण को चुनौति किस कारण से दे रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाकर खारिज की जाती है। तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 239 दिनांक 29.05.1975 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)